

ALL INDIA FORUM AGAINST PRIVATISATION (AIFAP)

AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL!

Website: <https://aifap.org.in>

Email: contact@aifap.org.in

WhatsApp Number:

+918454018757

सेवा में,

मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार

आदरणीय महोदय,

ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (AIFAP) यूपीपीसीएल और उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाली दो बड़ी बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMS), पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध करता है।

उत्तर प्रदेश की इन दोनों DISCOMS के निजीकरण का कारण बिजली विभाग में बढ़ता घाटा बताया जा रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि यूपीपीसीएल का कुल घाटा 1 लाख 18 हजार करोड़ रुपये है, जबकि 2023-2024 तक वसूल की जाने वाली बकाया राशि 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये है, जो इस वित्तीय वर्ष में और भी अधिक हो जाएगी। मुख्य बकाया बड़े कॉर्पोरेट्स, व्यापारियों और सरकारी विभागों का है। अगर यूपीपीसीएल बड़े कॉर्पोरेट्स और व्यापारियों से वसूली करे और सरकारी विभाग उसका बकाया चुका दें, तो "घाटा" खत्म हो जाएगा।

इन दोनों डिस्कॉम के निजीकरण के कारण 70,000 से अधिक नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को छंटनी का खतरा मंडरा रहा है। जब 1993 और 2010 में क्रमशः उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और आगरा शहर में बिजली वितरण का निजीकरण किया गया था, तो निजी कंपनियों ने तत्कालीन विद्युत बोर्ड के एक भी कर्मचारी को नौकरी पर नहीं रखा था।

यूपीपीसीएल के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर बार-बार बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण को निजी कॉर्पोरेट इजारेदारों को सौंपने के प्रयासों का विरोध करते रहे हैं। इस बार भी वे उन्हीं प्रयासों का विरोध करेंगे। प्रबंधन के किसी भी अन्यायपूर्ण कर्मचारी विरोधी प्रयास का विरोध करना कर्मचारियों और इंजीनियरों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए AIFAP यूपीपीसीएल के प्रबंधन और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को इस अधिकार से वंचित करने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध और निंदा करता है।

इन राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम का निजीकरण पूरी तरह से मुनाफे के भूखे कॉर्पोरेट इजारेदारों के लाभ के लिए है इसलिए यह उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ है।

सस्ती दरों पर बिजली की आपूर्ति सरकार का मौलिक कर्तव्य और नागरिकों

का मौलिक अधिकार है और यही कारण है कि पूरे देश में राज्य विद्युत बोर्डों की स्थापना की गई थी।

पूरे देश में बिजली वितरण के निजीकरण के प्रयास राज्य विद्युत बोर्डों के कर्मचारियों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए विनाशकारी रहे हैं। कहीं भी निजीकरण के परिणामस्वरूप बिजली की दरों में कमी नहीं आई है, खासकर कामकाजी लोगों और किसानों के लिए जो आबादी का बहुमत हैं।

उत्तर प्रदेश की इन दो प्रमुख डिस्कॉम का निजीकरण उत्तर प्रदेश में बिजली के पूरे वितरण, पारेषण और उत्पादन के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। इसे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, इंजीनियर और बहुसंख्यक लोग स्वीकार नहीं कर सकते।

AIFAP में केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 106 सदस्य हैं। ये सदस्य घटक अखिल भारतीय फेडरेशन, एसीओसेशन और यूनियन हैं जो बिजली, रेलवे, रक्षा, बंदरगाह और गोदी, सड़क परिवहन, इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग, बीएसएनएल, आदि के साथ-साथ जन संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

AIFAP उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीपीसीएल से दो डिस्कॉम, पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के अपने फैसले को तुरंत रोकने का आह्वान करता है।

आपका,

डॉ. ए. मैथ्यू
संयोजक

5 दिसंबर 2024

प्रतिलिपि: ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

: अध्यक्ष, यूपीपीसीएल

: संयोजक, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश